भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 6964
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 मई, 2015/18 वैशाख, 1937 (शक) को दिया गया)

दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन

6964. श्री कीर्ति आजाद :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(क) के अंतर्गत दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) के खातों की जांच/निरीक्षण का आदेश दिया था एवं यदि हां, तो उक्त जांच/निरीक्षण में सामने आए भ्रष्टाचार के मामलों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
(ख) क्या सरकार ने लेखाकार के विरूद्ध कोई कार्रवाई की है जिसने कथित रूप से प्रत्येक वर्ष फर्जी खाते को पास कर दिया था तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं एवं उक्त लेखाकार के विरूद्ध कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है;
(ग) क्या सरकार ने कंपनी पंजीयक (आरओसी) दिल्ली को निर्देश दिया है कि वह उक्त जांच/निरीक्षण रिपोर्ट में रेखांकित कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन न करने के लिए डीडीसीए के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करे एवं यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में आरओसी, दिल्ली द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है;
(घ) क्या आरओसी ने केवल कुछेक पदाधिकारियों के आवेदनों का शमन किया है जबकि प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को अभी दंडित किया जाना बाकी है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कंपनी अधिनियम की धारा 5च और छ के अंतर्गत तत्कालीन प्रेसिडेंट सहित कार्मिकों को कब तक दंडित किए जाने की संभावना है;
(ड.) क्या सरकार के संज्ञान में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और आंतरिक जांच प्रतिवेदन के माध्यम से डीडीसीए में अपराध, कुप्रशासन, रिकार्डों में हेर-फेर, अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की और भी शिकायतें आई हैं एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इन शिकायतों के संबंध में क्या कार्रवाई की है/की जा रही है; और
(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री **(श्री जयंत सिन्हा)**

(क) से (घ) : मंत्रालय ने दिनांक 28.9.2012 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अधीन डीडीसीए की लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों की जांच का आदेश दिया था। इस जांच रिपोर्ट में लेखांकन

मानकों - 5, 15, 18, 19, 22 और 29 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराएं 36, 150, 166/210, 209(1), 209(3)(ख), अनुसूची-VI के साथ पठित 211, 217(3), 285, 299, 303, 309, 314 और 211(3क)/(3ग) का उल्लंघन दर्शाया गया था। सभी अपराध प्रशमनीय प्रकृति (कंपाउंडेबल इन नेचर) के थे और कंपनी तथा चूककर्ता अधिकारियों ने माननीय कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष जुर्माना भरकर उन अपराधों का प्रशमन कर दिया है।

ऊपर उल्लिखित अधिनियम की धारा 233 के साथ पठित धारा 227 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लेखापरीक्षक के विरूद्ध अभियोजन दायर किया गया है और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान में शिकायत की गई है।

(ड़) : मंत्रालय ने इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206 के अधीन जांच का आदेश दिया है।

(च) : कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अधीन जांच रिपोर्ट की संगत सूचना आयकर विभाग, शहरी विकास मंत्रालय और युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के साथ साझा की गई है।

*****